



**D.P. VIPRA COLLEGE  
BILASPUR**  
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

## 2.4.1

Number of full time teachers against sanctioned posts during the year.

**D.P. Vipra College**

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

# D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. – [www.dpvipracollege.in](http://www.dpvipracollege.in), Email- [dpvipracollege@gmail.com](mailto:dpvipracollege@gmail.com)

## Summary-Sheet

Criteria	2 – Teaching Learning & Evaluation	
Key Indicator	2.4: Teacher Profile and Quality	
Metric	2.4.1: Full time teachers against sanctioned posts during the year	
Full time teachers and sanctioned posts	Year	2021-22
	No. of full time teachers	84
	No. of sanctioned posts	91


### Note:

Since all supporting documents for this metric exceeds the upload limit of 5Mb, hence we have hosted the scanned documents as per SOP on institutional website on the following links,

Description	Relevant link
1) Breakup of sanctioned post and filled post for AY 2021-22 attested by principal is attached. <b>(Appendix-I)</b>	<a href="https://dpvipracollege.in/aqar-2021-22/">https://dpvipracollege.in/aqar-2021-22/</a>
2) List of faculty members authenticated by head of institute is attached for AY 2021-22. <b>(Appendix-II)</b>	
3) Appointment letter of faculty members are attached as per above list. <b>(Appendix-III)</b>	

  
IQAC Co-ordinator  
D.P. Vipra College  
BILASPUR (C.G.)

IQAC Coordinator

  
PRINCIPAL  
D.P. Vipra College  
Bilaspur (C.G.)  
Principal



**D.P. VIPRA COLLEGE  
BILASPUR**  
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

# Appendix I

**D.P. Vipra College**

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

**D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)**

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com


Letter No./३०९ /Estb/Post/2021-22


Bilaspur, Date 1४.०४.२०२१

**Number of sanctioned posts for teaching faculty in the session 2021-22**

S.No.	Post of Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Microbiology	4
11	Asst. Prof. Botany	4
12	Asst. Prof. Zoology	4
13	Asst. Prof. Maths	4
14	Asst. Prof. Physics	5
15	Asst. Prof. Chemistry	7
16	Asst. Prof. Electronics	2
17	Asst. Prof. Computer Science	10
18	Asst. Prof. Public Administration	2
19	Asst. Prof. Biochemistry	2
20	Asst. Prof. Biotechnology	2
21	Asst. Prof. Management	3
<b>Grand Total</b>		<b>91</b>

\* Excluding the post of Principal, 91 posts of Assistant Professor approved.

  
Principal  
D.P. Vipra College  
Bilaspur (C.G.)  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

  
Chairman  
D.P. Vipra College  
Bilaspur (C.G.)  
अध्यक्ष  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)



**D.P. VIPRA COLLEGE  
BILASPUR**  
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

# Appendix II

**D.P. Vipra College**

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001



OFFICE OF THE PRINCIPAL

## D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)


Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - [www.dpvipracollege.in](http://www.dpvipracollege.in), Email- [dpvipracollege@gmail.com](mailto:dpvipracollege@gmail.com)

### GRANTED ASST.PROFESSOR LIST

SESSION- 2021-2022

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. SMT. ANJU SHUKLA	PRINCIPAL	SOCIOLOGY
2	DR. K.B. SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
3	DR. VIMAL KUMAR PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
4	DR. SADHANA SHOME	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
5	DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
6	DR. K. K. SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS

  
Principal  
D.P. Vipra College  
Bilaspur (C.G.)

**PRINCIPAL**  
**D. P. VIPRA COLLEGE**  
**BILASPUR (C.G.)**



OFFICE OF THE PRINCIPAL

## D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)


Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. - [www.dpvipracollege.in](http://www.dpvipracollege.in), Email- [dpvipracollege@gmail.com](mailto:dpvipracollege@gmail.com)

### NON- GRANT ASST. PROFESSOR LIST

SESSION- 2021-2022

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	DR. R. N. YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
2	DR. M. L. JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
3	DR. VIVEK AMBALKAR	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
4	DR. TARU TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
5	DR. SUSHMA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
6	DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
7	DR. SUNITA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
8	SHRI A. SRI RAM	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
9	SHRI JAYANTA ROY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
10	DR. MANISH KUMAR TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
11	DR. RENU NAYAR	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
12	DR. OORJA RANJAN SINHA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
13	DR. ASHISH SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
14	DR. M. S. TAMBOLI	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
15	SMT. SNEHLATA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
16	DR. SHUBHRAJA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
17	SMT. SHIRTI SOMVANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
18	SHRI DEEPAK TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
19	SHRI NIDHISH CHOUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	ELECTRONICS
20	DR. RASHMI SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
21	DR. ABHA TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
22	DR. ASHUTOSH PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
23	SMT. RAJANI KUJUR	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY
24	DR. SIKHA PAHARE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
25	DR. SMRITI RANI PRAKASH	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
26	SMT. TOSHIMA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
27	SHRI VISHWAS VICTOR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
28	DR. RICHA HANDA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
29	DR. SURUCHI MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
30	SHRI SUBIR SEN	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
31	DR. DURGASHARAN CHANDRA	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS

  
Principal  
D.P. Vipra College  
Bilaspur (C.G.)

PRINCIPAL  
D. P. VIPRA COLLEGE  
BILASPUR (C.G.)



OFFICE OF THE PRINCIPAL

## D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - [www.dpvipracollege.in](http://www.dpvipracollege.in), Email- [dpvipracollege@gmail.com](mailto:dpvipracollege@gmail.com)


### CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST

SESSION- 2021-2022

S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT
1	SMT. KIRAN DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PUBLIC ADMINISTRATION
2	SHRI PRADEEP JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
3	SMT. REENA TAMRAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
4	SHRI YUPESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY
5	SHRI MAYANK CHANDRA	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
6	SHRI VIKKI JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY
7	SHRI BRIJESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
8	SHRI ISHWAR SURYAWANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
9	MISS ANUPAMA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
10	MISS VARSHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
11	MISS ANJALI SONA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
12	MISS NEELAM SINGH SINGHEL	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
13	MISS POOJA DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE
14	SHRI RUPENDRA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE
15	SHRI SHISHIR SHUKLA	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES
16	MISS ANKITA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES
17	MISS RUCHITA SHRIWASTAV	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES
18	SHRI LAVRAJ VISHWKARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
19	SHRI DEEPAK KU. KASHYAP	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY
20	SHRI MOTILAL PATLE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
21	MISS PRACHI TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	BIOTECHNOLOGY
22	SHRI AJIT KASTURIYA	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY
23	SHRI NIRAJ SONI	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
24	MISS VOLGA VYAS	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
25	SHRI GENDLAL BANJARE	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
26	SHRI GURUDEO KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
27	MISS SHIKHA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
28	SHRI DIVYANSHU SWARNAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
29	SHRI PRAKASH CHATURVEDI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
30	MISS ANJU HALWAI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
31	MISS JHARNA PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
32	MISS KANCHI BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
33	SHRI KAILASH DEWANGAN	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
34	SHRI TARUN KUMAR VISHWAS	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS
35	SHRI LOKESH KUMAR VERMA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI



36	SHRI ARCHANA SINGH THAKUR	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
37	MRS. SUPRIYA SHRIWASTAVA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI
38	MISS NEHA MEGHANI	ASSISTANT PROFESSOR	BIO CHEMISTRY
39	SHRI BHAGWAT KAUSHIK	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
40	MISS SAPNA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
41	MISS VARSHA RANI DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
42	MISS ANJALI VAISHNAV	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS
43	SMT. ABHA BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
44	SMT. NEELIMA KESHARWANI	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
45	MISS NEHA CHAUHAN	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS
46	SHRI SARVESH DEEP	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
47	MISS ABHILASHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE

  
Principal  
D.P. Vipra College  
Bilaspur (C.G)

**PRINCIPAL**  
**D. P. VIPRA COLLEGE**  
**BILASPUR (C.G.)**



**D.P. VIPRA COLLEGE  
BILASPUR**  
ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC

# Appendix III

**D.P. Vipra College**

Old High Court Road, Bilaspur

Chhattisgarh, India 495001

आदेश

प्रति /स्था/90

बिलासपुर, दिनांक - 14 - 11 - 90

इस महाविद्यालय को पयन संगीत द्वारा पयन विधे गर पदाभिन्ताणे  
श. अशु तिलवारी, जिनको नियुक्त प्रणालन संगीत को छेठक दिनांक- 12-11-90  
में अनुमोदित ही गयी, को इस महाविद्यालय में प्रो. स्व. के. शर्मा के निम्न वे  
रकत सुधे नियुक्त पद पर समाजशास्त्र विषय के अन्वेषण सहा. प्राध्यापक के  
पद पर, म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन को प्रत्याग में 13-11-90  
में ए. ए. सी. वेतन मान 2200-75-2000-100-4000 के अन्तगत प्रारंभिक वेतन तथा  
अन्य द्वारा विधे जा रहे संस्थाई भत्ता के साथ स्व वर्ष के लिये परीक्षा पर  
नियुक्त विधा जाता है। यह आदेश नियम शर्तों के साथ लागू होगा :-

1. नियुक्त विधे भी पक्ष द्वारा नियुक्त विधे गये व्यक्ति या नियुक्त अधिकारी  
द्वारा विधाना कोई कारण बताए एक महीने को नोटिस देकर समाप्त की जा  
सकती है।
2. यह नियुक्त सभी मान्य होगी, जब श. अशु तिलवारी पांच स्वधे के अन्यायिक  
मुद्दा पर विचारित प्रथम मर अनुबंध हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेगी, जो  
संगीत के सीइता की शर्तों को बंधित करता है।
3. श. अशु तिलवारी महाविद्यालय के सभी नियमों एवं विनियमों से शासित  
होगी, जो महाविद्यालय के बर्धधारियों को अलग से वा की शर्तों, पाल पलन  
एवं अनुमोदन से संबंध में प्रभाव गलता है।

§ अध्यक्ष के आदेशानुसार §

अशु। -

प्रभारी प्राचार्य,

श्री. ए. ए. प्रजापति महाविद्यालय,

शारिका पसाव विम महाविद्यालय,

बिलासपुर, दिनांक 14/11/90

पृष्ठानन क्रमांक 665 /स्था/90


प्रौढीलीप :-

1. श्रीमान् सीधव म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल को भेज कर निवेदन  
है कि नियुक्त का अनुमोदन से निम्नाने का बस्ट करे।
2. कुशाधव - गुरु छासोदाश विश्वविद्यालय बिलासपुर को सुपन्त्रि।
3. श. अशु तिलवारी - श्री डलहर प्रसाद तिलवारी ग्राम पास्ट बमोरा तखसील  
जाजगौर जिला बिलासपुर को सुपनाई एवं आवणक कार्यवाही हेतु ओपस।  
द्वयता अपने पद का कार्यभार तीन दिवस के भीतर ग्रहण करे।

प्रभारी प्राचार्य,

शारिका पसाव विम महाविद्यालय,  
बिलासपुर

स्थायी लेखा संख्या / PERMANENT ACCOUNT NUMBER  
AEPPS2610M




नाम / NAME  
ANJU SHUKLA

पिता का नाम / FATHER'S NAME  
HAALAD PRASAD SHUKLA

जन्म तिथि / DATE OF BIRTH  
30-06-1981

हस्ताक्षर / SIGNATURE



आयकर आयुक्त, जबलपुर  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, JABALPUR

(7522 802W)

OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY  
SNATAK MAHAVIDYALAYA, BILASPUR.

- O R D E R -

No. 767/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980

Shri K. B. Singh, a candidate for appointment,  
is appointed to officiate as Lecturer in Sociology in  
this college until further orders in the scale of pay  
of Rs. 620-1500 with usual AD, A. and other allowances, with  
effect from the 15th November 1980, subject to the following  
conditions: -

- (1) That his appointment is subject to the approval of the M.P. Uchcha Shiksha & Madan Ayog, Bhopal & Ravishankar University, Raipur,
- (2) That his appointment is approved by the Governing Body, Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

and,

- (3) That he abides by the service conditions applicable to the employees of the Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

*OR*  
Principal & Secretary.

Principal & Secretary,  
GOVERNING BODY,  
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

No. 767-A/Estt./80., dated Bilaspur, the 11th November 1980.

Copy forwarded to Shri K. B. Singh, Hariyara,  
district Bilaspur, for information and necessary action.

*OR*  
Principal & Secretary.


Principal & Secretary,  
GOVERNING BODY,  
Snatak Mahavidyalaya, Bilaspur.

*Handwritten:*  
K.B. Singh  
11.11.80

**आयकर विभाग**  
**INCOME TAX DEPARTMENT**  
**भारत सरकार**  
**GOVT. OF INDIA**




**KAVI BHUSAN SINGH**  
**BHAGIRATHI SINGH**  
**09/07/1957**  
 Permanent Account Number  
**AEPSP2613J**  
*KBS*  
 Signature



**7017 0048 5555**  
**मेरा आधार, मेरी पहचान**

इस कार्ड को खोना/हानि होना अनधिकृत करने, लोप/प्राप्त करने या प्रेषण करने से बचना।  
 If this card is lost / some one else has found, please inform / return to:  
 Income Tax PAN Services Unit, NSDL,  
 3rd Floor, Spanghore Chambers,  
 New Delhi Telephone Exchange,  
 Darya, Pune - 411005.  
 Tel: 91-2027213060, Fax: 91-2027218081  
 e-mail: [income@nsdl.com](mailto:income@nsdl.com)



**7017 0048 5555**  
**मेरा आधार, मेरी पहचान**

7-19

OFFICE OF THE PRINCIPAL & SECRETARY, GOVERNING BODY  
D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR.  
(406001.)

ORDER

No. 232/Estt/83, dated Bilaspur, the 13th August 1983  
Shri Vimal Kumar Patel, a candidate for appointment  
is appointed on the basis of the recommendation of the Selection  
Committee, as a Lecturer in Geography, in an official capacity,  
in this college until further orders in the sanctioned scale of  
pay of Rs. 700-1600 with usual dearness allowance, with effect  
from the 18th August 1983 subject to the following conditions:

- (1) That the appointment is subject to the approval  
of the M.P. Uchcha Shiksha Mandal Ayog, Bilopal,  
and the Guru Charidan University, Bilaspur. Ex (a) (i) (ii)  
and
- (2) That he abide by the service conditions applicable  
to the employees of the D.P. Vipra College,  
Bilaspur.

SN  
(R.N. Shukla.)  
Principal & Secretary,  
D.P. Vipra College,  
Bilaspur.

No. 232/Estt/83, dated Bilaspur, the 13th August 1983

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel,  
Bilaspur, for information and necessary action. He will please  
his duties as a Lecturer immediately, and subject to his  
agreement to the above terms and conditions. Joining report  
may also please be submitted in triplicate.  
Copy to Shri C.S. Patel, Lecturer, D.P. Vipra College,  
Bilaspur, for information.

R.N. Shukla  
(R.N. Shukla.)  
Principal & Secretary.

AS  
Principal & Secretary

स्थायी खाता संख्या

PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AGRPP8200C



नाम NAME

VIMAL KUMAR PATEL

पिता का नाम FATHER'S NAME

JANAK RAM PATEL

जन्म तिथि DATE OF BIRTH

01-07-1960

हस्ताक्षर SIGNATURE

*Vimal K. Patel*

जयशंकर प्रसाद

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JASMER



कार्यालय, प्राचार्य, दारिका प्रसाद विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर, म०५०.  
 आदेश क्रमांक 381 /स्था/८४. बिलासपुर, दिनांक 23.11.1981

निम्न लिखित अभ्यर्थियों को बताया गये विषय के व्याख्याता के पद पर योज्यमान 700-40-1100-5-1300 असेलमेंट-50-1600 पर रुपये पर देय मंडगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता सपिठ, पदभार <sup>उपभोग</sup> करने की तिथि से नियुक्ति नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पद नाम	विषय
1.	कु. साधना बोल	व्याख्याता	समाजशास्त्र
2.	श्रीमती मधु दोराईराज	---	श्रीयो
3.	ये नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होंगी।		

1. म०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल एवं गुस्वामीदास विद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदन क्रिये जाने उपरान्त ही नियुक्तियां मान्य होंगी।
  2. प्रशासन समिति स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्तियां मान्य होंगी।
- एवं  
 उक्त स्नातक महाविद्यालय, बिलासपुर में लागू सेवा शर्तों द्वारा उक्त अभ्यर्थी शासित रहेंगे।

प्राचार्य एवं सचिव,  
 प्रशासन समिति,  
 म०५० विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर।

पु. क्रमांक 381-D /स्था/८४. दिनांक -----  
 प्रतिक्रिया :-

1. श्रीमान् सचिव, म०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल।
2. श्रीमान् कुलसचिव, गुस्वामीदास विद्यालय, बिलासपुर।
3. जिला रोजगार अधिकारी, बिलासपुर को सूचनाार्थ।
4. कुमारी साधना बोल, द्वारा भी बी.के. बोल, पदार्थ नं. 536/4, आर.टो.एन. कालोनी, बिलासपुर।
5. श्रीमती मधु दोराईराज, द्वारा भी एन.बी. दोराईराज, डिप्टी चोक इंजीनियरिंग बंगला नं. 1048, रेडिये कालोनी, बिलासपुर।

को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त।

(S. S. S. S. S.)  
 प्राचार्य एवं सचिव,  
 प्रशासन समिति,  
 विष्णु महाविद्यालय, बिलासपुर

(G) 3

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

SADHANA SHOME  
BIMAL KUMAR BOSE  
018771962  
Permanent Account Number  
AVRPS0169E



S. S. S. S.  
Signature

In case this card is lost / found, kindly inform / return to :  
Income Tax PAN Services Unit, UTISL  
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,  
New Mumbai - 400 614.  
अथ कार्य ही जाने पर कृपया सूचित करें/लौटायें :  
आयकर पत्र सेवा युनिट, UTISL  
प्लॉट नं. 3, सेक्टर 11, सी.बी.डी. बेलपुर,  
नवी मुंबई-400 614.

आदेश क्रमांक - 10 - स्था. १७

बिलासपुर, दिनांक : 21/4/97

आदेश

श्री संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री एम.पी. तिवारी, एम.ए., एम.फिल सहायक प्राध्यापक अग्रिजी हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अग्रिजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 प्रतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक अग्रिजी के पद विनियम पर निम्नलिखित अनुबन्धों के साथ नियुक्त किये जाते है :-

§ 1 § उनकी जन्म तिथि ~~10.10.1965~~ <sup>10.10.1965</sup> है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन पत्र महाविद्यालय प्रशासन समिति अपनी बैठक दिनांक 14.1.97 को अपने विषय क्रमांक 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.पू. प्रशासन, उनके पत्र क्रमांक 1312/13/1/ब/96-97/8 1855 दिनांक 5.4.97 को मान्य किया है।

§ 2 § उनकी सेवाएं यदि परिवेक्षा अवधि में असंतोषजनक पाई गईं तो उन्हें इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएं से कभी-भी अलग किया जा सकता है और संतोष जनक परिवेक्षा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाईकरण की पात्रता होगी।

§ 3 § श्री संजय कुमार तिवारी पद भार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5.00 रुपये की आइडेम्नीटी स्टा म् बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई प्रकृति के लिए वेतन के लिए प्रस्तुत करेगा।

श्रीमान प्राचार्य महोदय

प्रतिपत्र  
दिनांक 21/4/97  
प.क. स्था. १७

द्वारिका प्रसाद विष्णु  
प्राचार्य  
बिलासपुर मि.पू. १।  
दिनांक 21/4/97  
बिलासपुर, 25/4/97

प्रतिलिपि :-

§ 1 § श्री संजय कुमार तिवारी, बी-1/245 गेवरा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यभार 10 मई 97 तक आवश्यक रूप से ग्रहण करें। पद भार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्रों की मूल के साथ एक छायाप्रति महाविद्यालय के परीक्षा/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

10 13

// 2 //

21.4.97

॥2॥

कुल सचिव, गुरु धासीदास वि.वि. बिलासपुर यह इनके पं.क्र. 18/97 स्क्रीनिंग/संबद्धता/बस/95-96 दिनांक 22.11.96 के तारतम्य में आवश्यक सूचनार्थ।

॥3॥

संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से संबंधित शाखा ई-2/84 महावीर नगर, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/ब/96-97/1855 दिनांक 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री सज्जय कुमार तिवारी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन के साथ वेतन पची जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

॥4॥

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरासन समिति द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।

मे. ग. ग. ग. ग.  
//नामदेव//  
21.4.97

प्राचार्य एवं सचिव  
पुरासन समिति,  
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय,  
बिलासपुर। म.पं.।

--:: 0 ::--

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

संजय कुमार तिवारी  
MAHESH PRASAD TIWARI

10/01/1965  
Permanent Account Number  
ADCPT7057P

  
Signature







आदेश  
=====

डा. कृष्ण कुमार शर्मा वत्स श्री एम.पी. शर्मा, एम.ए., एम.फिल,  
पी.एच.डी. अर्थशास्त्र सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित एवं पैनल में प्रथम  
स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के  
पद पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-49/23/95/सी-3/38  
दिनांक 11.8.95 एवं 23.8.95 द्वारा स्वीकृत नवीन पद के विरुद्ध वेतनमान  
2200-75-2500-100-4000/- प्रतिमाह तथा समय - समय पर स्वीकृत  
भत्तों के साथ उनके पदभार ग्रहण की तिथि एक वर्ष की परिवर्धिता अवधि  
पर नियमित सहायक प्राध्यापक पद में निम्नलिखित अनुबंधों में नियुक्त किया  
जाते हैं।

टीप :  
====

§1§ उनकी जन्म तिथि 1.7.68 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन  
इस महाविद्यालय के प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 16.6.97  
के विषय क्रमांक 05 में अनुमोदन किया गया है तथा नियमित  
नियुक्ति संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, म.पु. शासन उनके पत्र  
क्रमांक 1312/13/9-व/97-98/नि./4897 दिनांक 8.8.97 के द्वारा  
सान्ध्य किया है।

§2§ उनकी सेवाएँ यदि परिवर्धिता अवधि में असंतोष पाई गईं तो इन्हें  
कार्यालय कार्यालय में बिना कोई पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जा सकती  
सकती है तथा संतोष जनक परिवर्धिता अवधि पूर्ण करने पर उन्हें स्थाई  
करण की पात्रता होगी।

§3§ डा. के.के. शर्मा के पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल की  
अवधि में 5.00 रुपये की आइडेन्टीटी स्टैम्प बाण्ड पर सेवा  
इकरार नामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय के स्थाई अभिलेख हेतु  
प्रस्तुत करेंगी।

Sd/-

प्राचार्य,

द्वारिका प्रसाद विष्णु महावि.

बिलासपुर (म.पु.)

दिनांक 10/9/97


पृष्ठांकन क्रमांक -----/स्था./१७

दिनांक : 1.9.97

प्रतिलिपि :-  
=====

- ॥ 1 ॥ डा. के. के. शर्मा सदर्थ सहायक प्राध्यापक डी.पी.विपु महाविद्यालय की आयुक्त एवं कार्यवाही हेतु आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश के तहत आप अपना कार्यभार शीघ्र ग्रहण कर पदभार करने का प्रत्यवेदन प्रस्तुत करें। ताकि ये संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को वेतन पत्रों के लिए भिजवाया जा सके। पदभार ग्रहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्र उपाध्यक्ष मूल में तथा उसकी एक छाया प्रतिलिपि महाविद्यालय में परिरक्षण/निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।
- ॥ 2 ॥ कुल सचिव, गुरुदासीदास वि.वि. बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु यह उनके पत्र क्रमांक 589/अकादमी/चयन समिति/१७ दिनांक 30.4.97 के तारतम्य में।
- ॥ 3 ॥ संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ई-2/94 महावीर नगर भोपाल को उनके पत्र क्रमांक 1312/13/१-व/१७-१८/4897 दिनांक 8.8.97 के सदर्थ में डा. के. के. शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने का प्रत्यवेदन कीपत्रों उचित समय पर वेतनपत्रों हेतु भिजवाया जायेगा।
- ॥ 4 ॥ श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, द्वारिका प्रसाद विपु महावि. बिलासपुर।

संलग्न : कुछ नहीं।

  
 प्राचार्य,  
 द्वारिका प्रसाद विपु महावि.  
 बिलासपुर (सं. १०)

//नामदेव//

का थालिय, प्राचार्य, तथा सचिव उ०३१० वि० महा विद्यालय, विकासपुर.

:: आ-दे-रा ::

क्रमांक 287/80 विकासपुर, दिनांक 13 नवम्बर, 87

इस महा विद्यालय की चयन समिति द्वारा चयन किये गये  
बदाभिनाथी श्री रामाधार ब्रसाद बाण्डेय, जिनकी नियुक्ति स्थगित  
पुरासन समिति की बैठक दिनांक 11.11.87 में अनुमोदित की गई,  
इस महा विद्यालय में "उर्ध्वारोह" विषय के व्याख्याता पद पर वर्तमान  
सं 700-40-1100-50-1300-Assignment-50-1600 के अंतर्गत प्रादेशिक  
वेतन तथा सुंस्था द्वारा किये जा रहे अंशगई भत्ता के साथ 88 कार्यभार  
गुण्य करने की तिथि से एक वर्ष के लिये परिचीक्या पर नियुक्त किया  
जाता है। यह आदेश निम्न शर्तों के साथ लागू होगा :-

- 1.- नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्ति या  
नियुक्त अधिकारियों द्वारा किना कोई कारण बताये। महीने  
की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
2. वह नियुक्ति आदेश तभी मान्य होगा, जब श्री बाण्डेय  
बात स्वये के अन्यायिक मुद्दाक पर निर्धारित मुंषत्र पर अनुबंध  
हस्ताक्षर करके प्रमाणित करेगा, जो समिति के संहिता की शर्तों  
को बाधित करता हो।
3. श्री बाण्डेय महा विद्यालय के सभी निष्काओं एवं विनिष्काओं से  
रहा सित होंगे, जो महा विद्यालय के कर्मचारियों की अवकाश सेवा  
की शर्तों, प्राल-चलन एवं अनुशासन के संबंध में प्रभाव डालता हो।  
यह नियुक्ति आदेश म०५० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग  
द्वारा अनुमोदन होने पर मान्य होगी।

सही |  
सचिव एवं सचिव  
प्रचारण समिति

प्रमाणित किया गया है  
(म०५०)

क्रमांक 287/80 विकासपुर, दिनांक 13 नवम्बर, 87

श्री रामाधार ब्रसाद बाण्डेय, जिंता श्री कालिका ब्रसाद बाण्डेय  
द्वारा एस०३१०शामा-34 ए विद्यालयनगर विकासपुर {म०५०}  
की सूचना थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजिता कृया आप  
जानने पद का कार्यभार सात दिवस के भीतर अतिवाय सुं  
गुण्य करे।

Handwritten signatures and stamps on the left side of the document.

Handwritten signature and stamp: श्री. वि. वि. महा विद्यालय विकासपुर [उत्तराखण्ड]

Handwritten signature: R.N. Shukla  
सचिव एवं सचिव  
प्रचारण समिति  
कारिका प्रचारण वि० महा विद्यालय  
(म०५०)

Handwritten signature and stamp: श्री. वि. वि. महा विद्यालय विकासपुर [उत्तराखण्ड]



कार्यालय प्राचार्य  
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)


क्र.----/स्थापना/2003-04

**नियुक्ति आदेश**

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री रूपनारायण यादव को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 312/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

RUP NARAYAN YADAV

RADHEY SHYAM YADAV

14/03/1963

Permanent Account Number

ABPPY4104K

*Rup Narayan*  
Signature



11042006

100

100

3

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एल. जायसवाल को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्रचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 30- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

PERMANENT ACCOUNT NUMBER  
ADDPJ6803Q



THE NAME  
MURARI LAL JAISWAL

FATHER'S NAME  
CHANDI PRASAD JAISWAL

DATE OF BIRTH  
07-09-1964

SIGNATURE  
*M. L. Jaiswal*

COMMISSIONER OF INCOME TAX, JAISWAL

28 - 2



नागरिकता प्रमाण पत्र प्राधिकरण  
भारत सरकार, भारत

पता:

श्रीमान: सी पी जायसवाल,  
निराला नगर, पुराना बस  
स्टैंड के पास, राजयोग केंद्र  
की गली, विलासपुर,  
विलासपुर(न.नि.),  
विलासपुर,  
छत्तीसगढ़ - 495001

Address:

S/O: C P Jaishwal, nirala nagar,  
purana bus stand ke pass,  
rajyog kendra ki gali, Bilaspur,  
Bilaspur (C.G.), Bilaspur,  
Chhattisgarh - 495001

8144 1339 7383

MEERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

कार्यालय प्राचार्य  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**


क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. विवेक अंबलकर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


  
16/6/03  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 122-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

3 28

**आयकर विभाग**  
**INCOME TAX DEPARTMENT**  
**VIVEK AMBAIKAR**  
**MORESHWAR AMBAIKAR**  
 17/09/1965  
 PAN Number: **AUIPA8508G**  
**भारत सरकार**  
**GOVT. OF INDIA**

If this card is lost / someone's lost card is found  
 please inform / inform to:  
 Income Tax PAN Services Unit, NSDL  
 2nd Floor, Sapphire Chambers,  
 New Bazaar Telephone Exchange,  
 Bangur Pura - 411 045  
 Tel: 91 20 2721 8081 Fax: 91 02721 8081  
 e-mail: [ininfo@ndia.co.in](mailto:ininfo@ndia.co.in)

कार्यालय प्राचार्य  
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. तरू तिवारी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इतिहास विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ac

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 387/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)



आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

TARU TIWARI

NAND KISHORE TIWARI

04/08/1970

Permanent Account Number

ACKPT9222D

Signature



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA



Handwritten signature and text: *श्री - नम ति वारी*

Notary stamp: **ASSURED True Copy**  
**SURENDRA SHARMA**  
NOTARY

Notary stamp: **बिलासपुर विश्वासार्थ व उद्योग**  
बिलासपुर 557

Notary stamp: **Bilaspur Dist. - Bilaspur**  
**2 MAY 2010**

कार्यालय प्राचार्य  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुषमा चतुर्वेदी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 409-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)



S. Sharma

02/02/2019

(12)

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

**नियुक्ति आदेश**

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री खगेन्द्र कुमार सोनी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 231/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

दिनांक | 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- वाणिज्य ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

KHAGENDRA KUMAR SONI

NANKI RAM SONI

14/04/1966

Permanent Account Number

DSXPS7110D

Signature



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



29102011

(13)

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता थादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति कक्ष  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 337/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति कक्ष  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं  
आयकर भ्रमन सेवा इकाई, एन एस डी एस  
तीसरी मंजिल, सफावर टॉवर,  
बानेर टेलिफोन एक्चेंज के नजदीक,  
बानेर, पुणे-411045

If this card is lost / someone's lost card is found,  
please inform / return to  
Income Tax PAN Services Unit, NSDL  
3rd Floor, Sapphire Chambers,  
Near Baner Telephone Exchange,  
Baner, Pune - 411 045  
Tel: 91 20 2722 3000 Fax: 91 20 2721 8081  
e-mail: [unitinfo@nsdl.com](mailto:unitinfo@nsdl.com)

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
SUNITA YADAV  
KALICHARAN YADAV



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



20/07/1967  
Permanent Account Number  
AGIPY3409P

Signature

*Sunita Yadav*  
06/02/19

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)**


क.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री ए. श्रीराम को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में नाण्डिन्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध विष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
सहायक प्राध्यापक  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
विलासपुर (छ.ग.)

पुनः प्रेषण क्र. 2112/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिष्ठान

- (1) कुल मंचि, मूल पाठोद्गम विश्वविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, उत्तीमगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)
- (4) निभागाध्यक्ष, ----- को सूचनाार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, पोस्टाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) प्रबंधपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं मंचि  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय




आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



स्थायी आयकर खाता कार्ड  
Permanent Account Number Card  
DGBPS9294G



नाम / Name  
AAYAGARI SRI BAM

पिता का नाम / Father's Name  
AAYAGARI JAGAN MOHAN RAO

जन्म का तिथि / Date of Birth  
01/03/1974

28082018

*[Handwritten signature]*

15

कार्यालय प्राचार्य  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र. ---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/08/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री जयन्त राय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 288/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

28-9

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
JAYANTA ROY



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

KHAGENDRA NATH ROY



16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E



15/02/2013

*M*  
Signature

17

कार्यालय प्राचार्य  
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री मनीष तिवारी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्रशासनिक सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 171- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

# कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती रेणु नायर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में रसायनशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c


  
 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
 प्राचार्य एवं सचिव  
 प्रशासन समिति  
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 184-4-स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

### प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

  
 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
 प्राचार्य एवं सचिव  
 प्रशासन समिति  
 डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
 बिलासपुर (छ.ग.)

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

RENU NAYAR  
KHARATI LAL GHOPRA

17/11/1970  
PAN Card Number  
AMDPN6486C

29/12/2010



*Renu Nayar*

कार्यालय प्राचार्य  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती ऊर्जा रंजन सिन्हा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
 प्रशासन समिति  
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
 बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 240/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
 प्रशासन समिति  
 डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
 बिलासपुर (छ.ग.)

Dr. Oorja Ranjan Sinha

Aadhar card.

 भारत सरकार  
Government of India


 ऊर्जा रंजन सिन्हा  
Oorja Ranjan Sinha  
जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971  
महिला / Female



**3431 7363 4811**

आधार - आम आदमी का अधिकार

*OR Sinha*

 भारतीय विहित पंजीयन प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

पता: संबोधित: रवि रंजन सिन्हा, Address: W/O: Revi Ranjan Sinha,  
ओपीपी.ओम रॉयल्स, बी/8, फेस 02 OPP.OM ROYALS, B/8 . PHASE 02 R.K.  
आर.के. नगर बिलासपुर, NAGAR bilaspur, Bilaspur(m. Corp),  
बिलासपुर(न.नि.), बिलासपुर, Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001  
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, 495001

**3431 7363 4811**

1947  
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.  
www.uidai.gov.in

*OR Sinha*



19

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04


दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री आशीष शर्मा को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c


  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 218 /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छतीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

ASHISH SHARMA  
PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969  
Permanent Account Number  
DKSPS1864P

*Signature*  
Signature



17052011

*For College*

*AS*  
*7/2/19*

20

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एस.तम्बोली को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

पृष्ठांकन क्र. 78/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

28-14

  
मधुसुदन तंबोली  
Madhusudan Tamboli  
जन्म तिथि / DOB: 27/01/1964  
पुंन / Male




  


4112 5267 1018

**मेरा आधार, मेरी पहचान**

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
MADHUSUDAN TAMBOLI  
PAMSAHAY TAMBOLI  
27/01/1964  
Permanent Account Number

भारत सरकार  
GOVT OF INDIA

ANEPT 2677D



भारत के डाक विभाग  
India Post

डाक सेवाओं और डाक टिकटों के लिए एकमात्र अधिकृत वेबसाइट  
डाक सेवाओं (e), ब्लैस्पूर, चहतीसगढ़, 495001



Address: S/O: R.S. Tamboli, Near Shri  
Hanuman Mandir, Tikal Nagar, Bilaspur(m.  
Corp), Bilaspur, Chhattisgarh, 495001

4112 5267 1018



1947

help@india.gov.in

www.india.gov.in

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 26/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

28-15



16

**कार्यालय प्राचार्य**  
**हारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. शुभजा पाण्डेय को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

*etc*

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 150-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

*etc*  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)



आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

SHUBHRAJA PANDEY  
GIRISH CHANDRA PANDEY

27/04/1973  
Permanent Account Number  
AVHPP1056R

Signature



*Shyif*  
09/02/2021

कार्यालय प्राचार्य  
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 437/स्थापना/2003-04

दिनांक 03/09/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/क. श्रीति चंदेल को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरान्त नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

437 to 442 dt. 3-9-03

CC

पृष्ठांकन क्र. 441/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- ✓(4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राप्त  
31/9/03

शही/-  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 03/09/2003

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

*Handwritten signature*

आपका विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
SHRITI SOMVANSHI  
HARI SINGH CHANDEL  
02/08/1973  
Permanent Account Number  
EUEPSS6495H

*Signature*  
Signature



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



22032013



भारत सरकार  
Government of India

पंजीकरण क्रमांक / Enrollment No.: 2017/97619/00581

To  
श्री. शिवरानी  
Shri Somvanshi  
W/O. Ravi Singh  
14 Dr. satgali gali veen kuni  
vinoba nagar  
Bilaspur  
19/07/2014  
Bilaspur  
Bilaspur  
154708580  
Chhatisgarh 495001  
9827110995  
ML547085807T



कार्यालय प्राचार्य  
**डॉ. प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र. .... /स्थापना/2003-04

दिनांक --- 16/6/03 ---

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती दीपिका निगारी को डॉ.पी.विप्र महाविद्यालय में अध्यापक विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डॉ.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक --- 16/6/03 ---

पुष्पंकन क्र. 208 /स्थापना/2003-04  
प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डॉ.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अध्यापक को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डॉ.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डॉ.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)



Prof. Deepak Tiwari  
Deptt. of Chemistry  
D.P. Veda College

कार्यालय प्राचार्य  
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

**नियुक्ति आदेश**

दिनांक | 17/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री निधीष चौबे को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
D.P.V.P.G. College  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 421-/-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 17/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
D.P.V.P.G. College  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

26

# कार्यालय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र. 518-स्थापना/2003-04

दिनांक 23-6-2003

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्री/कु. धीमती ~~2628 श्री~~ इतिहास को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

*[Signature]*  
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
Principal  
प्रशासन समिति P.G. College  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)  
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 23-6-2003

525  
पृष्ठांकन क्र. 519-स्थापना/2003-04  
प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

*[Signature]*  
23/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
Principal  
प्रशासन समिति V.P.G. College  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय (C. G.)  
बिलासपुर (छ.ग.)

*[Handwritten initials]*

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

रश्मि शर्मा

Signature



06052011

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटार  
आयकर पेन सेवा इकाई, एन एस डी एल  
तीसरी मंजिल, सफायर चेंबर्स,  
बानेर टेलिफोन एक्सचेंज के नजदीक,  
बानेर, पुना - 411 045

If this card is lost / someone's lost card is found,  
Please inform / return to:

Income Tax PAN Services Unit, NSDL,  
3rd Floor, Sapphire Chambers,  
Near Baner Telephone Exchange,  
Baner, Pune - 411 045

Tel: 91-20-2721-8080 Fax: 91-20-2721-8081  
e-mail: [unitinfo@nsdl.co.in](mailto:unitinfo@nsdl.co.in)

रश्मि शर्मा



28-20

भारत सरकार  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT OF INDIA



नाम / Name  
RASHMI SHARMA

प्राथमिक / Father's Name  
GAJANAN SHARMA

स्थायी / Permanent / Account Number Card  
DKEPS6821J



पता / Address  
Dahisar Road  
21006/1966

(27)

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

**नियुक्ति आदेश**

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. आभा दुबे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

0/0  
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 70-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

0/0  
16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)


(28) (21)




आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

ABHA TIWARI  
JAGDISH PRASAD DUBEY

12/04/1976  
Permanent Account Number  
ANEPT2699B

  
Signature

  
  
  
10052011

28

कार्यालय प्राचार्य  
रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री आशुतोष पाण्डेय को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 102/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिता
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

28-22

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
ASHUTOSH PANDEY  
LAXMI KANT PANDEY  
26/04/1977  
Permanent Account Number  
AXKH-P3452E

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



24G72008

Signature

29

कार्यालय प्राचार्य  
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुजूर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 43-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थी
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
RAJNI KUJUR  
STANISLAS KUJUR  
11/01/1973  
Permanent Account Number  
BIUPK5321J  
Signature

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

भारत  
सरकार



22062009

*Rajni Kujur*

(30)

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/16/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

o/c

क्र. 46- /स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एम. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु

0/16/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

Received  
01/08/18

2018/08/18  
जन सूचना अधिकारी  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)  
MK  
01/08/18



24



(31)

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**


क्र. 542/स्थापना/2003-04

**नियुक्ति आदेश**

दिनांक 23-6-2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ~~स्मृति शर्मा~~ ~~जी~~ ~~को~~ ~~डी.पी.विप्र महाविद्यालय में~~ ~~इतिहास~~ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

  
23/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
Principal  
प्राचार्य एवं सचिव P.G. College  
प्रशासन समिति Bilaspur (C. G.)  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 23-6-2003

पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ~~इतिहास~~ को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।



(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
Principal  
प्रशासन समिति P.G. College  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
Bilaspur (C. G.)  
बिलासपुर (छ.ग.)

28  
↓  
25



कार्यालय प्राचार्य  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र. 443/स्थापना/2003-04

दिनांक 20/09/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री/ श्रीमती तोषिमा मिश्रा को सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र पद पर वेतनमान 2200-4000 एवं महाविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/प्रिछडा वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध/पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

o/c

443 70 447 01- 20/9/03

447

पृष्ठांकन क्र. ---/स्थापना/2003-04

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Recd  
22.09.03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 20/09/2003

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
TOSHIMA MISHRA  
KRISHNA MURARI SHARMA  
15/08/1974  
Permanent Account Number  
BLKPM2849H

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

08042011

Signature



(4)

कार्यालय प्राचार्य  
**डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क्र. / 01 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री विश्वास विक्टर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 117 / Acod. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति प्राचार्य  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. / 02 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 05.10.2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Reviewed  
          


प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)  
प्रभारी प्राचार्य  
डी. पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

सायकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
VISHWAS VICTOR  
VIJAY VICTOR  
01/07/1982  
Permanent Account Number  
AOSPV2824B

भारत सरकार  
GOVT OF INDIA

Signature



06/02/19

कार्यालय प्राचार्य  
**डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रवर्त

फोन नं. 07762-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com

क. / 03 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए सुश्री **ऋचा हाण्डा** को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, **कम्प्यूटर विज्ञान** विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, शून्यता क्र. 87 / Acod. / 2016 दिनांक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनोंक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकल्पनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

45  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति प्राचार्य  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 07.10.2017

पृ.क्र. / 04 / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

5  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)  
डी. पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)



24/02/20

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



भारतीय  
INCOME TAX DEPARTMENT

RICHAHANDA  
HARJEET KUMAR HANDA

27/11/1982  
Permanent Account Number  
ACOPR9714G

Signature *[Signature]*

08122007



कार्यालय प्राचार्य  
डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvjpracollege@gmail.com.

क्र. / ५४० / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरुचि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600-39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती।
02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होंगी।
03. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कॉलेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
05. नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति प्राचार्य  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 21.09.2017

पृ.क्र. / ५४१ / स्था. / 2017  
प्रतिलिपि :-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।
04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)  
प्रभारी प्राचार्य  
डी. पी. विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य  
द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.----/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. दुर्गाशरण चंद्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

16/6/03  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 118-/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

16/6/03  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



स्थायी खाता संख्या कार्ड  
Permanent Account Number Card

**AGKPC4131C**

नाम / Name  
**DURGASHARAN CHANDRA**

पिता का नाम / Father's Name  
**ISHWARI LAL CHANDRA**

जन्म की तारीख / Date of Birth  
**23/10/1966**

*For EPP office  
21-10-19  
14102119*

*(2) शिवराज*  
हस्ताक्षर / Signature

*Shera*



29082017

**कार्यालय प्राचार्य**  
**द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)**


क्र.-----/स्थापना/2003-04

दिनांक 16-6-2023

**नियुक्ति आदेश**

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री सुबीर सेन को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्तें महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
प्रशासन समिति  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 252/स्थापना/2003-04

दिनांक 16-6-2023


प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वाणिज्य को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

  
(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)  
प्राचार्य एवं सचिव  
डी.पी.विप्र महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. श्रीमति किरण दुबे उम्र 46 वर्ष,  
पति श्री दीपक प्रसाद दुबे  
निवासी- कतियापारा जूना बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-951056877942


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - श्रीमति किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार लोकप्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1.  (गोपाल कुमार खत्री)

2. 


S. R. Chandra Varma


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र:महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मैंने सपना इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़नेपूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अमूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2021



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- प्रदीप कुमार जायसवाल उम्र 31 वर्ष,  
पिता श्री मोहित राम जायसवाल  
निवासी- 102 जेम्स अपार्टमेंट जरहाभाठा बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-245191173107




उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रदीप कुमार जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1.   
Man Dubey


2.   
(Manoj Kumar)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर अथवा पूर्वक कथन आज कल  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

  
अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2021

CANCELLED



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. रीना ताम्रकार उम्र 31 वर्ष,  
पिता श्री धनेश ताम्रकार  
निवासी- काली दुर्गा मंदिर के पास, जवाली पुल के पास  
बिलासपुर

(छ.ग.) पिन-495001

आधार नं.- 233684831884


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रीना ताम्रकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1.

2.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLENNY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर और पूर्वक कथन आज कक्ष  
गीर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
07 JUL 2020



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- यूपेश कुमार उम्र 28 वर्ष,  
पिता श्री रामकुमार  
निवासी-म नं 5 वार्ड नं 1 भरेवापारा कवर्धा  
(छ.ग.) पिन-491559  
आधार नं.- 895795017218

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - यूपेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 .....

2. Dr. M.S. Tewari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर अपत्यपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

01 JUL 2020

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

23 JUN 2019



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

( Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- मयंक कुमार चन्द्रा उम्र 25वर्ष,  
पिता श्री तुलसीदास चन्द्रा  
निवासी-धनौरा पो परासी धनौरा बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495118  
आधार नं.- 816568687652



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मयंक कुमार चन्द्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.06.2019 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Varma

2. Dr. H. S. Techi

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

..... डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मैंने समझ इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर स्वयं/पूर्वक कथन आज कक्ष  
गीर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

23 JUN 2019



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
08 NOV 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- विक्की जायसवाल उम्र 23 वर्ष,  
पिता श्री ~~सम्प्रेलाल जायसवाल~~  
निवासी-ताडीपार रायगढ  
(छ.ग.) पिन-496445  
आधार नं.- 934409940857

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - विक्की जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 08.11.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-


1 .....

2. Dr. M.S. ...

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र. महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर अपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ-ग)  
08 NOV 2021

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

9 JUN 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- बृजेश कुमार उम्र 28वर्ष,  
पिता श्री जोहन प्रसाद  
निवासी- वार्ड नं 4 लीला मंडली चौक भिलौनी जांजगीर  
चांपा (छ.ग.) पिन-495554  
आधार नं.- 649015047066

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - बृजेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.06.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandravanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Bejesh Kumar



SOLENNY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पक्षकार/पक्षकार संतुष्टपूर्वक कथन आज कृत  
कीर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया है।

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

09 JUN 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
9 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी उम्र 31 वर्ष,  
पिता श्री जीत राम सूर्यवंशी

निवासी- वार्ड नं 18 शारदा मंगलम डॉ राजेन्द्र प्रसाद  
वार्ड जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिन-495668

आधार नं.- 426897205738

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandavanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अभ्यास सिंह  
नोटेरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

19 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

4 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- अनुपमा पाण्डेय उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री उमाशंकर पाण्डेय  
निवासी- हाउस नं 36 बिलासा गुडी पुलिस लाइन  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 593770494706

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अनुपमा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. B. Chandra Varma


2. D. S. Kumar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डॉ. पी. विप्र. महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सामने इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 4 JUL 2021



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 4 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- वर्षा सिंह उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री हीरेन्द्र कुमार सिंह  
निवासी- एम.क्यू 13 वार्ड नं 13 दीपका कोरबा (छ.ग.)  
पिन-495452  
आधार नं.- 983270833869

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - वर्षा सिंह को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Varanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संश्लेषित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर संतुष्ट/संतुष्ट पूर्वक कथन आज कल  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी  
विलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
07 OCT 2021

CANCELLED

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- अंजली सोना उम्र 27 वर्ष,  
पिता श्री गुरुबारू सोना  
निवासी-हाउस नं 1227/4 रेल्वे कालोनी बंगलायार्ड  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 428857985712

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजली सोना को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 07.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Varanishi

2. (Dr. M. S. Teju)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी. पी. विप्र. महविद्यालय.....  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....  
.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर/पूरे कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

07 OCT 2021

अरुण सिंह  
नोटीरी  
बिलासपुर (छ.ग.)  
20 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो.-नीलम सिंह सिंघेल उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री चंदन सिंह सिंघेल  
निवासी-टिकरापारा बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 653335848783

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजली सोना को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्युटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।



अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chankaransh

2. D. M. T. L.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर/समझपूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

20 OCT 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
20 OCT 2021.



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.-पूजा दुबे उम्र 24 वर्ष,  
पिता श्री सुरेन्द्र नाथ दुबे  
निवासी-वार्ड नं 20 छोटी कोनी बिलासपुर (छ.ग.)  
पिन-495009  
आधार नं.- 226324004700

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - पूजा दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिष्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandanwari


2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सामने इस पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर, संक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

20 OCT 2021



अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 9 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.-रूपेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 35 वर्ष,  
पिता श्री कृष्ण कुमार शर्मा  
निवासी-मकान नं 333नहरपारा भदौरा वार्ड नं 18 बहादुर  
बिलासपुर जैरामनगर (छ.ग.) पिन-495550  
आधार नं.- 454083213051

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रूपेन्द्र कुमार शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varanasi

2. Brijesh Kumar

Brijesh Kumar

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....Brijesh Kumar

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पक्षकार/पक्षकारों शपथपूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

9 JUL 2021



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 3 JUN 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.-शिशिर शुक्ला उम्र 32 वर्ष,  
पिता श्री चन्द्र शेखर शुक्ला  
निवासी- वार्ड नं 46 शास्त्री नगर सरकण्डा बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 825478178987

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - शिशिर शुक्ला को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बी.बी.ए. विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 13.06.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. M.S. Tuli

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर समझपूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अमूद किया

Arun Singh  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 3 JUN 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

08 OCT 2021

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.-अंकिता शर्मा उम्र 33 वर्ष,  
पिता श्री कैलाश नारायण शर्मा  
निवासी- बंगालीपारा गली नं 4 सरकण्डा बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 413108028736

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंकिता शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बी.बी.ए. विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 08.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 .....

2. D. M. S. - ldr.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]  
.....  
प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]  
.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर अपूर्वक कथन आज कदा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

[Signature]  
अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

08 OCT 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

20 OCT 2021

CANCELLED



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.-रुचिता श्रीवास्तव उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री संतोष श्रीवास्तव  
निवासी- गोंडपारा बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 312164033920

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - रुचिता श्रीवास्तव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार बी.बी.ए. विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 20.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandramanishi

2. (Signature)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर सामुंभक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

20 OCT 2021



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
N 9 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. लव राज विश्वकर्मा उम्र 34 वर्ष,  
पिता श्री हेमराज विश्वकर्मा  
निवासी- वार्ड नं 02 विंध्या विहार कालोनी मरवाही  
(छ.ग.) पिन-495118  
आधार नं.- 759632553693

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - लव राज विश्वकर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

(शगराम चन्द्रवंशी)

2. (Dr. M. S. Chandra)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

(Signature)



SOLENNY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर अनुबंधपूर्वक कथन जांच कइ  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 9 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
21 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. दीपक कुमार कश्यप उम्र 25 वर्ष,  
पिता श्री मनीराम कश्यप निवासी- 351 धिवरा जॉजगीर  
चौपा (छ.ग.) पिन-495661  
आधार नं.- 919930534708

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - दीपक कुमार कश्यप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी, अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 21.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandrasekharshi

2. (Dr. M.S. Reddy)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Deepak



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION  
मेरे समक्ष इस ग... संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर... कथन आज का  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा छि

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

21 OCT 2021

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)  
11.9 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )

- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. मोतीलाल पाटले उम्र 36 वर्ष,  
पिता श्री किशुन राम पाटले  
निवासी- 53 वार्ड नं 03 मोहनपुर पो फुलवारी  
मुँगेली (छ.ग.) पिन-495115  
आधार नं.- 460943555123

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 19.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandravanshi

2. Dr. A. B. K. Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.बिन्न:महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMP IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर ध्यानपूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

19 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

4 JUL 2021

CANCELLED

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्राची तिवारी उम्र 29 वर्ष,  
पिता श्री युगल किशोर तिवारी  
निवासी- कुम्हारपारा जरहाभाठा बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन- 495001  
आधार नं.- 263801728835

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्राची तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनरपति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandravanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर सत्यपूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021



अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

21 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. अजीत कस्तुरिया उम्र 27 वर्ष,  
पिता श्री रामझुल कस्तुरिया  
निवासी- कस्तूरबा नगर बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 409249619894

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अजीत कस्तुरिया को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 21.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 (सगराम चन्द्रवंशी)

2 (Dr. M. J. Lohia)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Ant



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION  
वेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर/पढ़ावकर/पढ़ावकर कथन आज कथन  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया


अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

21 OCT 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
14 JUL 2021

CANCELLED  
INDIA  
TEN RUPEES

अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नीरज सोनी उम्र 27 वर्ष,  
पिता श्री सुभाष सोनी  
निवासी- एस.बी.आई. बैंक के पास जनकपूर कोरिया  
(छ.ग.) पिन-497778  
आधार नं.- 437651217699



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नीरज सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइकोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varanshi


2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर और पूर्वक कथन आज कथन  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

.....  
अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
06 JAN 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. बोलगा व्यास उम्र 33 वर्ष,  
पिता श्री प्रमोद कुमार व्यास  
निवासी- व्यापार विहार रोड संजय अपार्टमेंट बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 610661978941

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — बोलगा व्यास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलाजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 06.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. B. Chandra Prasad

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

..... डी.पी.वि.म. महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर अथवा पूर्वक कथन आज कथन  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

06 JAN 2021



असल  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
11.4 JUL 2021  
11.4 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. गेंदलाल बंजारे उम्र 29 वर्ष,  
पिता श्री खेलावन बंजारे  
निवासी- वार्ड नं.05 पुटपुरा बेमेतरा  
(छ.ग.) पिन-491340  
आधार नं.- 964951794063

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गेंदलाल बंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. (स्व. ग. राम चन्द्र वंशी)

2. (Dr. M. S. Kaur)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र:महाविद्यालय.....  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

14 JUL 2021

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज़ पर संश्लिप्त व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर सपथपूर्वक कवन आज कवन  
वीर इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)





अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

4 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. गुरुदेव कुमार उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री राजू कंवट  
निवासी- मं नं.468 दुर्गा चौक सकराली जॉजगीर चॉपा  
(छ.ग.) पिन-495688  
आधार नं.- 829054926741

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - गुरुदेव कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :- M  
1 .....  
[Signature]  
2. [Signature]

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

..... प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....  
[Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर संपूर्णक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

[Signature]  
अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

05 AUG 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो.- शिखा पाण्डेय उम्र 25 वर्ष,  
पिता श्री रविशंकर पाण्डेय  
निवासी- संत कबीरदास महिमा नगर सिरगिट्टी  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495004  
आधार नं.- 850098531837

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - शिखा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.08.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandravanshi

2. Dr. M. S. ...

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मक्ष इस ... पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर ... कथन आज कक्ष  
और इस बरतावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किये:

अरुण सिंह

नोटरी,

बिलासपुर (छ.ग.)

05 AUG 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

06 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. दिव्यांशु स्वर्णकार उम्र 22 वर्ष,  
पिता श्री धनेंद्र कुमार स्वर्णकार  
निवासी- 101 वार्ड नं. 10 सोनार गली अकलतरा  
जॉजगीर चॉपा (छ.ग.) पिन-495552  
आधार नं.- 941641096363

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - दिव्यांशु स्वर्णकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 06.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandramohan

2. (Dr. M. S. Kishor)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर  
प्राचार्य  
.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय.....  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर और सुबंक कथन आज कथं  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

06-10-2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

07 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. प्रकाश चतुर्वेदी उम्र 24 वर्ष,  
पिता श्री घनश्याम बिहारी चतुर्वेदी  
निवासी- विष्णु चौक यादव मोहल्ला तिफरा  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 932566213506

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
लिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रकाश चतुर्वेदी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 07.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Prasad

2. (Dr. M. S. Tuli)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB EXPRESSION  
मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर और पूर्वक कथन आज का  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

07 OCT 2021



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
05 JAN 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजू हलवाई उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री कोमल चंद्र हलवाई  
निवासी- सुभाष नगर कॉजी हाउस के पास गोंडपारा  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.- 375845790513

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजू हलवाई को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.01.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.B. Chandra Varshi

2. Dr. M.S. Bhat

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION  
मेरे समक्ष इस दफ्तर पर संबंधित व्यक्ति ने  
पक्षकार/पक्षकारों से पूर्व कथन आज कल  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)


05 JAN 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 5 AUG 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. झरना पटेल उम्र 27 वर्ष,  
पिता श्री ईश्वर प्रसाद पटेल  
निवासी- रविन्द्रनाथ टैगोर नगर मंगला चौक  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-271607990552

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - झरना पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 15.08.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandrasomshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....  
B. Patel



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर/पढ़पूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 5 AUG 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
11 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार — प्रो. कांची बाजपेयी उम्र 21 वर्ष,  
पिता श्री विकास कुमार बाजपेयी  
निवासी- वार्ड नं.17 निरंकारी भवन ईमलीपारा  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-712169354380

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - कांची बाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 11.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1. (खगराम-यहवेंशी)

2. (MS)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

(Signature)



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर अपत्यपूर्वक कथन आज कल  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

(Signature)  
अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 OCT 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

4 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. कैलाश देवांगन उम्र 23 वर्ष,  
पिता श्री घनाराम देवांगन  
निवासी— म.नं.409 पिपरिया कवर्धा  
(छ.ग.) पिन—491995  
आधार नं.—934953526332

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर — कैलाश देवांगन को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 (मगशम-चन्द्रवंशी)

2 (D.M.S. (Chh.))

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

कैलाश



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMP IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर/अपना-अपना हस्ताक्षर कर  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
21 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. तरुण कुमार विश्वास उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री खिरोद विश्वास  
निवासी- म.नं.54 बायसी कालोनी रायगढ  
(छ.ग.) पिन-496116  
आधार नं.-725497638245

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - तरुण कुमार विश्वास को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकारिमिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 21.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. (सगराम-महवंशी)

2. (Do. Mr. ...)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (उ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर और पूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (उ.ग.)

21 OCT 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
24 JUL 2021

CANCELLED



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. लोकेश कुमार वर्मा उम्र 29 वर्ष,  
पिता श्री बसंत कुमार वर्मा  
निवासी- म.नं.39 वार्ड नं.12 खपरी बेमेतरा  
(छ.ग.) पिन-491340  
आधार नं.-503687408179

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - लोकेश कुमार वर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. B. Chandravamsini

2. (S. M. S. Devi)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (उ.प्र.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (उ.प्र.)

14 JUL 2021

CF On Rupee Stamp of Rupees 10/-  
& Notation Stamp of Rupees 10/-  
affixed / Not affixed

अरुण सिंह  
नोबरी  
बिलासपुर (छ.ग.)



(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार

— प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

231120

द्वितीय पक्षकार

— प्रो. अर्चना सिंह ठाकुर उम्र 26 वर्ष  
निवासी- वार्ड -02, मस्तुरी  
बिलासपुर (छ.ग.) पिन- 495551


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - प्रो. अर्चना सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंधित पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।

7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।


अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.11.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1  Dr. M.S. Tamboli

  
प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर  
प्राचार्य  
.....  
श्री. पी. विप्र. महाविद्यालय.....  
विलासपुर (छ.ग.)

2  Dr. Abha Tiwari

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर  
  
.....

23/11/20

SIGNATURE ATTESTED

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

दोरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।


अरुण सिंह  
नोटरी  
विलासपुर (छ.ग.)



अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

15 JUL 2021

CANCELLED



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. सुप्रिया श्रीवास्तव उम्र 27 वर्ष,  
पिता श्री राजीव श्रीवास्तव  
निवासी- एम.आई.जी.1/7 नूतन इनक्लेव नूतन चौक  
सरकण्डा बिलासपुर(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-718739570637

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सुप्रिया श्रीवास्तव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 15.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varma

2. (Dr. Mrs. Lata)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर सनपपूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

15 JUL 2021



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

7 4 JUL 2021

CANCELLED



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. नेहा मेंघानी उम्र 29 वर्ष,  
पिता श्री घनश्याम मेंघानी  
निवासी- सिंधी मोहल्ला मसानगंज बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-753438518415


उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-


1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नेहा मेंघानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार जैव रसायन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1.   
(अश्वराम चन्द्रा)

2.   
(अश्वराम चन्द्रा)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

.....  
प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महानिष्ठा  
बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....  
Naghar



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर पूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

  
अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

11 4 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching )



प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो. भागवत कौशिक उम्र 29 वर्ष,  
पिता श्री जसकरन कौशिक  
निवासी- चौधरी गली इमलीभाठा बंधवापारा सरकण्डा  
बिलासपुर(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-610614227788

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

NOTARY  
अरुण सिंह

गवाह :-

1. S. R. Chandanavanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

..... डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

.....



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर ध्यानपूर्वक कथन आज रूप  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)  
74 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. सपना मिश्रा उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री केशरी कुमार मिश्रा  
निवासी- साहु मोहल्ला छुरी कटघोरा कोरबा  
(छ.ग.) पिन-495450  
आधार नं.-881650170512

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - सपना मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandravanshi

2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कक्ष  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा कि।


.....  
अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
11 4 JUL 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. वर्षा रानी दुबे उम्र 26 वर्ष,  
पिता श्री बालमुकुन्द दुबे  
निवासी- वार्ड नं. 02 खरौद जॉजगीर चांपा  
(छ.ग.) पिन-49555  
आधार नं.-554978884979



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - वर्षा रानी दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 14.07.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S. R. Chandra Varanshi


2. Dr. Abha Tiwari

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

डॉ. पी. विप्र. महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर सपथपूर्वक कथन आज कल  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

14 JUL 2021



अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)

09 NOV 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. अंजली वैष्णव उम्र 28 वर्ष,  
पिता श्री विष्णु दास वैष्णव  
निवासी- कपिल नगर नया सरकण्डा बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-457444531305

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - अंजली वैष्णव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.11.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chanvaranemshi

2. H. M. S. Chohan

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सामने इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़ाकर पूर्वक कथन आज कल  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह

नोटरी

बिलासपुर (छ.ग.)

09 NOV 2021

अरुण सिंह  
नोटरी,  
बिलासपुर (छ.ग.)  
10 AUG 2021

CANCELLED



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)



प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - प्रो. आभा बाजपेयी उम्र 41 वर्ष,  
पति श्री ज्योति कुमार बाजपेयी  
निवासी- कतियापारा जूना बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495001  
आधार नं.-260419933982

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य  
निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - आभा बाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 10.08.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1. S.R. Chandra Varma

2. Dr. Abha Tiwari


प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य

.....  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Abha Tiwari



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे समक्ष इस अनुबंध पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़ाकर/पढ़ाकर पूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अमूठा किया

Arjun Singh  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

10 AUG 2021

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

2 OCT 2021



अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र  
( Contract for Teaching)

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय,  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - प्रो. नेहा चनानी उम्र 32 वर्ष,  
पति श्री रविशंकर चनानी  
निवासी- आर 9/37 रामावैली चकरभाठा बिलासपुर  
(छ.ग.) पिन-495220  
आधार नं.-457466290386

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर - नेहा चनानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.10.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान-बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



गवाह :-

1 .....

2 (Dr. Mrs. Titri)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

प्राचार्य  
डी.पी.विप्र.महाविद्यालय  
बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

मेरे सम्मक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया

अरुण सिंह  
नोटरी  
बिलासपुर (छ.ग.)

12 OCT 2021

OF On Rupee Stamp/ Five affixed  
& Not affixed Stamp of Rupees 10/-  
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh  
Central Notary  
Bilaspur (C.G.)



नुबंध पत्र

4 JAN 2022  
4 JAN 2022

(Contract for Teaching)

2021-22

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्रीमती अभिलाषा सिंह ठाकुर उम्र 26  
पिता : श्री सी.एस. ठाकुर  
निवासी- महर्षि स्कूल रोड, मंगला  
जिला- बिलासपुर (छ.ग.)  
पिन - 495001  
आधार नंबर : 475321275009



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती अभिलाषा सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर साईंस विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 04.01.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

4 JAN 2022

गवाह :-

1 सागराम पन्डवशी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 डा. मनीष तिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION  
मेरे समक्ष उपरोक्त पत्र पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर/अपना-अपना हस्ताक्षर कर  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अपना-अपना हस्ताक्षर किया।

Arun Kumar Singh  
Central Notary  
Bilaspur (C.G.)



CF On Rupees Two/Five affixed  
& Notarial Stamp of Rupees 10/-  
affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh  
Central Notary  
Bilaspur (C.G.)

अध्या




CANCELLED 23 AUG 2021

(Contract for Teaching)

2021-22

- प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
- द्वितीय पक्षकार - श्रीमती निलिमा केशरवानी उम्र 35  
हाऊस नं. 22, शिवाजी मार्ग टिकरापारा बिलासपुर  
जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती निलिमा केशरवानी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— विलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

23 AUG 2021

गवाह :-

1 शुभराज - यशवती

2 डॉ. मनीष तिवारी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION


मेरे समक्ष उपस्थित पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर अपथपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

[Signature]  
Arun Kumar Singh  
Central Notary  
Bilaspur (C.G.)



On Rupees Two/Five affixed  
Notarial Stamp of Rupees 10/-  
affixed / Not affixed

Arum Kumar Singh  
Central Notary  
Bilaspur (C.G.)



अनुबंध पत्र


09 DEC 2021

(Contract for Teaching)

2021-22

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय  
पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व  
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री सर्वेश दीप उम्र 25  
पिता : श्री भगवान दीन  
निवासी- हसबेड़ा चौक, आजाद चौक, छुरीकला  
जिला- कोरबा (छ.ग.)  
पिन - 495450  
आधार नंबर : 737532490467



उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री सर्वेश दीप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.12.2021 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

9 DEC 2021

गवाह :-

1. सगराम चन्द्रवंशी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]

2. डा. मनीष तिवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

[Signature]



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN  
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED  
SIGNED / THUMB IMPRESSION

दो समक्ष दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने  
पढ़कर/पढ़वाकर शपथपूर्वक कथन आज कहा  
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगूठा किया।

**Arun Kumar Singh**  
Central Notary  
Bilaspur (C.G.)